प्रेस नोट दिनांक 26-10-20

थाना रसूलपुर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 23-10-2020 को छात्रा की सनसनी खेज हत्या का 48 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण के सम्बन्ध में-

दिनांक 23/24-10-20 की रात्रि में छात्रा की घऱ के अन्दर गोली मारकर हत्या कर देने की सनसनी खेज सूचना प्राप्त हुई थी जिसके सम्बन्ध में मृतका के पिता अजय पुत्र ईश्वर दयाल निवासी प्रेम नगर गली न0-2 थाना रसूलपुर द्वारा अभियुक्तों 1-मनीष यादव 2-गौरव चक 3-सोपाली यादव को नामजद करते हुये व 3 अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध तहरीर दी जिसके आधार पर मु0अ0सं0 -336/20 धारा 147/148/452/302/ भादवि व 3(2)5 एससी / एसटी एक्ट थाना रसूलपुर पर पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना की गम्भीरता को देखते हुये श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा द्वारा भी तुरन्त आकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और घटना के सफल अनावरण किये जाने हेतु एक कार्ययोजना के तहत टीमों को कार्य करने हेतु ब्रीफ किया गया।

घटना के अनावरण हेतु गठित टीमो द्वारा विवेचना के क्रम में पाया कि मृतका के पिता द्वारा प्रारम्भ में कई विरोधाभाषी बयान दिये गये , जिनकी गहराई से जाँच की गयी तो नामित अभियुक्त गण द्वारा घटना कारित करने की बात असत्य प्रतीत हुयी। घटना में नामित अभियुक्तगण घटना के समय घटनास्थल के आसपास मौजूद नही थे जिसके कारण उनकी नामजदगी संदिग्ध प्रतीत हुई जिस पर गहराई से जाँच की गयी तो पाया कि नामित अभियुक्त गौरव देर रात्रि में आगरा से वापस रास्ते में था अभियुक्त मनीष यादव अपने घर पर था जो घटनास्थल से काफी दूर है तथा अभियुक्त सोपाली यादव एक समारोह मे था जिनकी नामजदगी कारोबारी व आपसी रंजिश के कारण की गयी है और मृतका की हत्या के समय करीब रात्रि 11 बजे फायर होने की आवाज व घर में मृतका की माँ के द्वारा अपने पति से रोते हुये खुद को मार देने की बातें मौहल्ले वासियों द्वारा सुने जाने की बात बतायी गयी। जिसके फलस्वरुप मृतका के चाचा माँ , अन्य मौहल्ले वासियों से गहनता से पूछताछ की गयी तो मृतका की हत्या उसके पिता अजय द्वारा किये जाने की बात स्पष्ट रुप से सामने आ गयी।

आज दिनांक 26-10-2020 को 48 घण्टे के अन्दर सर्वलाल स्कूल के पास प्रेम नगर कैन्टीन के सामने से मृतका के पिता अभियुक्त अजय पुत्र ईश्वरदयाल निवासी प्रेमनगर डाक बंगला गली न0-2 को हत्या में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर व 1 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण - मृतका के पिता अभियुक्त अजय द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि उसको मुकुल के जरिये से जानकारी मिली कि उसकी बडी पुत्री ,नामजद मनीष यादव व सुमित से बात चीत करती है व मिलती है। यह बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और उसने पुत्री से इस सम्बन्ध में पूछताछ व जानकारी की तो पुत्री ने इस सम्बन्ध में पहले मना किया और ज्यादा पूछने पर स्वीकार किया। जिसके फलस्वरुप मृतका का पिता अजय सुमित के पिता व मनीष से बात किया और सुमित के घर जाकर उसके पिता से मिला। जहाँ सुमित द्वारा मृतका के पिता अजय को बताया गया कि वह मृतका छात्रा से बात नही करता है मृतका से मौहल्ले का रहने वाला अनमोल नामक लडका टेलीफोन से बात करता है इसके उपरान्त अजय वहाँ से अपने घर आया और पुत्री से इस सम्बन्ध में सही बात बताने को कहा। पुत्री यह बात बताना नही चाहती थी जिससे अजय गुस्से से तमतमा गया और उसने तमंचा निकाल अपनी पुत्री को गोली मार दी और फिर अपने बचने के लिये झूठा नाटक कर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करा दिया।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय - सर्वलाल स्कूल के पास प्रेम नगर कैन्टीन के सामने , 26-10-2020 समय सुबह 5-00 बजे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- अजय पुत्र ईश्वरदयाल निवासी प्रेमनगर डाक बंगला गली न0-2 रसूलपुर।

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग-

(1) मु0अ0सं0 336/20 धारा 302 भादवि थाना रसूलपुर फिरोजाबाद।

(2) मु0अ0सं0 /20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना रसूलपुर फिरोजाबाद।

बरामदगी- हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

अनावरण व गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1-श्री फतेहबहादुर सिंह प्र0नि0 रसूलपुर फिरोजाबाद ।

2-श्री अनूप भारती प्र0नि0 उत्तर फिरोजाबाद।

3-श्री प्रमोद मलिक निरीक्षक अपराध रसूलपुर फिरोजाबाद।

4- उ0नि0 श्री हरवेन्द्र मिश्रा मीडिया सेल फिरोजाबाद।

5-उ0नि0 श्री बासुदेव सिंह थाना रसूलपुर फिरोजाबाद ।

6-उ0नि0 श्री जय सिंह थाना उत्तर फिरोजाबाद।

7-का0 रघुराज, का0 अनिल गुप्ता सर्विलांस सेल फिरोजाबाद।

8-का0 कन्हैया ,का0 जयनारायण, का0 राजकुमार , का0 सतेन्द्र , का0 राहुल थाना रसूलपुर।